भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1144

शुक्रवार 07 फरवरी, 2020 को उत्तर देने के लिए

महिला वैज्ञानिक योजना

1144 . श्री नारणभाई काछड़िया :

श्री प्रदीप कुमार सिंह :

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा:

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

श्री जसवंतसिंह सुमन भाई भाभोर:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अनुसंधान और विकास क्षेत्र में तैनात महिलाओं की संख्या को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत के विश्व औसत स्तर तक लाने में महिला वैज्ञानिक योजना के किस तरह से प्रभावी रहने की संभावना है ;

(ख) क्या इस योजना से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति महिलाओं की रूचि जागृत हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत महिलाओं हेतु सुरक्षित कार्य स्थल उपलब्ध कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डा. हर्ष वर्धन)

(क) महिला वैज्ञानिक स्कीम (डब्ल्यूओएस) उन महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को अवसर प्रदान करती है जिनके वैज्ञानिक करियर में व्यवधान प्रमुखत: पारिवारिक कारणों की वजह से आया हो। यह योजना महिलाओं को वैज्ञानिक पेशे में एक मजबूत आधार देती है, उन्हें मुख्यधारा में पुन: प्रवेश करने में मदद करती है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे की गतिविधि हेतु एक प्रमोचन मंच प्रदान करती है। महिला वैज्ञानिक स्कीम के तीन घटक अर्थात् महिला वैज्ञानिक स्कीम-ए (डब्ल्यूओएस-ए) अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) और बेंच लेवल वैज्ञानिकों के रूप में कार्य करने के अवसर मुहैया करवाती है; महिला वैज्ञानिक स्कीम-बी (डब्ल्यूओएस-बी) समाज में मौजूदा समस्याओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित समाधान पर कार्य के अवसर मुहैया करवाती है और महिला वैज्ञानिक स्कीम-सी (डब्ल्यूओएस-सी) उक्त क्षेत्र में एक वर्षीय प्रशिक्षुतावृत्ति के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) के क्षेत्र में कार्य के अवसर मुहैया करवाती है । इन तीन घटकों में से किसी एक में चयन के उपरांत महिला वैज्ञानिक, अनुसंधान और विकास क्षेत्र, एनजीओ, आईपीआर संबंधी विधिक फर्मों तथा संस्थानों में करियर के साथ ही स्व-रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करती हैं । डब्ल्यूओएस-ए और डब्ल्यूओएस-बी के अंतर्गत सहायता प्राप्त लगभग 30 प्रतिशत महिला वैज्ञानिक विज्ञान की मुख्यधारा में हैं और डब्ल्यूओएस-सी के अंतर्गत प्रशिक्षित लगभग 60 प्रतिशत महिला वैज्ञानिक या तो विविध फर्मों में कार्यरत हैं अथवा वे उद्यमी बन चुकी हैं ।

(ख) जी, हां । महिला वैज्ञानिक योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों की संख्या में निरंतर वृद्धि होना विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की रूचि को प्रदर्शित करता है । डब्ल्यूओएस के तहत प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों की संख्या 2017-18 में 3,574, 2018-19 में 5,164 और 2019-20 में 6,369 रही है ।

(ग) महिला वैज्ञानिक योजना के तहत, मेजबान संस्थानों का चयन स्वयं महिला वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है और संस्थान प्रमुख वे सभी सुविधाऐं प्रदान करने की पुष्टि करते हैं जिसमें सुरक्षित कार्य स्थल भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, यदि महिला वैज्ञानिक प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की अवधि में किसी भी समस्या, सुरक्षा सहित, से जुझती हैं तो स्कीम में संस्थान का बदलाव करने का उपबंध भी मौजूद है ।

******